UPME010091992026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01, मेरठ।
उपस्थित :– राकेश कुमार–V (एच०जे०एस०)
JO Code NO. UP–6155
कंप्यूटर पंजीकरण सं०–3277/2026
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०–2654/2026

पंकज ... ...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य ... ...विपक्षी

धारा – 109(1) बी०एन०एस० व
3/5/25/27 आयुध अधि०
थाना – कंकरखेड़ा, जिला मेरठ
मु०अ०सं०–445 सन् 2026

02.07.2026

1– पुलिस थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ पर मु०अ०सं० 445 सन् 2026, अंतर्गत धारा 109(1) बी०एन०एस० व 3/5/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित पंकज पुत्र अनिल, निवासी ग्राम जेवरी, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ, हाल निवासी शंकरनगर परतापुर, थाना परतापुर जिला मेरठ की ओर से जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र संलग्न है कि यह प्रार्थी अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हैं तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय या उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ में लंबित नहीं हैं और न ही निरस्त किया गया है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 30.05.2026 को वादी उपनिरीक्षक मानवेन्द्र सिंह अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु अन्दर इलाका थाना क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर शक होने पर नाले के पास एक मोटरसाईकिल पर दो लडके आते हुए दिखायी दिये जिनको रूकने का इशारा किया तो उन लोगों ने एक दम मोटरसाईकिल नाले की पटरी की तरफ मोड दी तथा शक होने पर रूकने के लिए ललकारा तथा पीछा किया गया। उनमें से एक व्यक्ति ने जोर से चिल्लाकर कहा पुलिस हमारे पीछे पड रही है गोली मारो तभी पीछे बैठे व्यक्तिने उन पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया तथा स्वयं को घिरता देखकर पुनः बदमाशों ने फायर किये। वादी द्वारा आत्म रक्षार्थ अपनी सरकारी पिस्टल से दोजवाबी फायर किये गये तथा उपनिरीक्षक दिलीप बाथम द्वारा पनी सरकारी पिस्टल से एक राउन्ड फायर किया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को घेर घोटकर पकड लिया तथा दोनों के पैरों से घुटने के नीचे से घायल होने के कारण खून टपक रहा था। मुल्जिमान के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोका कारतूस 315 बोर नाल में फंसा हुआ, 01 अदद पिस्टल मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व 01 अदद मेटरसाईकिल हीरो स्पेन्डर बरामद हुए। मौके पर बरामद तमन्चा व कारतूसों को सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। फर्द मौके पर वादी द्वारा टार्च की रोशनी में तैयार की गयी तथा माल व मुल्जिमान को थाने पर दाखिल कर मुकदमा कायम कराया गया।

4– जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्त सर्वदा निदोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त पर दर्शाया गया अपराध में अभियुक्त सभी मुकदमों में जमानत पर है। प्रार्थी अभियुक्त पर दर्शाया गया अपराध में सह–अभियुक्त की जमानत स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी अभियुक्त के पुलिस पार्टी द्वारा फर्जी मुठभेड दिखाकर अभियुक्त के गोली मारकर गिरफ्तारी दिखाई है। पुलिस पार्टी के कोई चोट नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को फर्जी मुठभेड में गिरफ्तारी दिखाई है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से जिला

कारागार में बन्द है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से की गई है देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्त पर फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। प्रार्थी अभियुक्त गाँव का स्थाई निवासी है उसके फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त का किसी गवाह को डराने, धमकाने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त न्यायालय की सन्तुष्टि के योग्य जामिनान देने को तैयार है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी **श्री शिवम गुप्ता** के तर्कों को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रार्थी अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व उनके कब्जे से अवैध असलाह बरामद होने का आक्षेप है। प्रश्नगत प्रकरण पुलिस मुठभेड़ से सम्बन्धित है तथा प्रश्नगत प्रकरण में किसी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना अभिलेख से परिलक्षित नहीं हो रहा है अपितु सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में प्रार्थी अभियुक्त के पैर में गोली लगना इस स्तर पर अभिलेख से दर्शित हो रहा है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व उनके कब्जे से कथित घटना से सम्बन्धित दर्शायी गयी बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और जैसा कि अभियोजन पक्ष की ओर से जिस प्रकार की घटना घटित होना बताया गया है उसके बावत भी कोई चक्षुदर्शी साक्षी होना नहीं दर्शाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क के दौरान प्रार्थी अभियुक्त पर इस अभियोग के अतिरिक्त 05 अन्य आपराधिक मुकदमें का आपराधिक इतिहास होने का कथन किया गया है किन्तु अन्य मामलों में उसकी दोषसिद्धि के सम्बन्ध में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2020(13) ए०सी०सी० 326** की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि केवल गंभीर आरोप लगाने एवं विभिन्न दाण्ड़िक मामले लम्बित होने के आधार पर अभियुक्त को जमानत दिये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि उसका मामला अन्यथा जमानत योग्य है। प्रस्तुत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। प्रश्नगत प्रकरण की घटना कारित करने में संलिप्त दर्शाए गए सह–अभियुक्त तनवीर पुत्र इस्लामुद्दीन द्वारा जमानत प्राप्ति हेतु योजित नियमित जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांकित 23.06.2026 के माध्यम से स्वीकार किया जा चुका है। इस स्तर पर प्रार्थी अभियुक्त का मामला भी जमानत प्राप्त सह–अभियुक्त के समान प्रतीत हो रहा है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 30.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी अभियुक्त पंकज पुत्र अनिल की ओर से प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी अभियुक्त पंकज पुत्र अनिल के द्वारा 1,00,000/– 1,00,000/– रूपये (एक–एक लाख रूपये) के दो विश्वसनीय जमानती व समान धनराशि का निजी प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किये जाता है।

(1) आवेदक बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
(2) आवेदक विचारण के प्रारम्भ की अवस्था, आरोप विरचित होने की दिनांक एवं धारा 351 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत परीक्षण की दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
(3) आवेदक/अभियुक्त वर्तमान मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन इस प्रकार का नहीं देगा कि अवगत होने वाला

व्यक्ति न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न कर सकें।

(4) आवेदक साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।

(5) जो अभियोग आवेदक/अभियुक्त पर लगया गया है, वैसा ही अन्य कोई अपराध आवेदक नहीं करेगा।

(6) आवेदक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत नहीं छोडेगा।

(7) इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से ई–सेवा केन्द्र जनपद न्यायालय मेरठ को जेल अधीक्षक जिला कारागार मेरठ के सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

(राकेश कुमार–V)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–01
मेरठ।
02.07.2026

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.07.03 15:20:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court